राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1381/2024

लतीफ मोहम्मद (कर्मचारी आई.डी.:–आरजेकेओ199227022712)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कोटा शहर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से झालावाड़ में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्प समय में किया गया है, जो गलत है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी वर्तमान पद पर वर्ष 2022 से कार्यरत है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्प समय में किया गया हो। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा उसमें कोई दुर्भावना रही हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम

विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। ऐसे में प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य(न्यायिक)